अत्यावश्यक
पंचायत उप चुनाव, 2025

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

पत्र संख्या–प0नि0 30–62/2025–3057

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, (पंचायत)।

पटना, दिनांक– 7.7.25

विषयः– **पंचायत उप निर्वाचन, 2025 बज्रगृह की सुरक्षा हेतु इलेक्ट्रॉनिक लॉक का उपयोग करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आयोग द्वारा पंचायत उप निर्वाचन, 2025 अन्तर्गत कराये जाने वाले निर्वाचन में मतदान उपरान्त बज्रगृह की सुरक्षा हेतु विधिक रूप से बज्रगृह को लॉक करने के अतिरिक्त **इलेक्ट्रॉनिक लॉक का उपयोग करने का निर्णय बज्रगृह को बंद किये जाने एवं खोले जाने के समय के अनुश्रवण एवं पारदर्शिता स्वरूप सभी संबंधित को 'अलर्ट' किये जाने के उद्देश्य से लिया गया है**। जिसका अनुश्रवण आयोग कार्यालय, जिला पदाधिकारी तथा निर्वाची पदाधिकारी द्वारा भी किया जायेगा। इस सन्दर्भ में आयोग द्वारा निम्नांकित निदेश दिये गये हैः–

1. दिनांक–09.07.2025 को मतदान पश्चात सभी पदों से संबंधित बज्रगृह में Statutory Lock के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक लॉक का भी उपयोग किया जायेगा।
2. इलेक्ट्रॉनिक लॉक जो किराये के आधार पर है, की आपूर्ति की जिम्मेवारी IMZ Corporate Private Limited, Software Technology Parks, Patliputra Colony, Patna-800013 को दी गयी है। जिसके राज्य स्तर पर समन्वयक श्री धीरज कुमार, मोबाईल सं0–8448690500/9693409595 है।
3. IMZ Corporate Private Limited के प्रतिनिधि इलेक्ट्रॉनिक लॉक को मतदान उपरान्त वज्रगृह को बन्द करने तथा मतगणना की निर्धारित तिथि एवं समय पर खोलने के समय उपस्थित रहेंगे। शेष समय में उनके प्रतिनिधि जिला में ही उपलब्ध रहेंगे। जिला के प्रतिनिधि का दूरभाष प्राप्त कर लेंगे जिससे परिस्थितिवश आवश्यकता पड़ने पर उन्हें कभी भी बुलाया जा सकता है।
4. IMZ Corporate Private Limited के प्रतिनिधि द्वारा इलेक्ट्रॉनिक लॉक से संबंधित एम.आई.एस. को BSNL द्वारा चयनित वेंडर द्वारा प्रत्येक बज्रगृह के बाहर अधिष्ठापित वेब कैमरा से संबद्ध किया जायेगा जिससे बाहर की गतिविधियों एवं ई.लॉक पर भी लाईव स्ट्रीमिंग द्वारा नजर रखी जा सकेगी, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक लॉक के खुलने एवं बंद होने का नोटिफिकेशन भी पोर्टल पर प्रदर्शित होगा एवं बज्रगृहवार यूजर आईडी एवं पासवार्ड चयनित सेवा प्रदाता वेंडर द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। इसका लिंक पदाधिकारियों के साथ–साथ सभी संबंधित अभ्यर्थियों को भी उपलब्ध कराया जायगा, जो अपना मोबाईल संख्या उपलब्ध करायेंगे।
5. संबंधित अभ्यर्थियों को भी इसके संबंध में अवगत कराया जाय तथा उन्हें भी View Option उपलब्ध कराया जाय ताकि पारदर्शिता बनी रहे। **निर्वाची पदाधिकारी संबंधित अभ्यर्थियों के मोबाईल संख्या एजेंसी के कर्मी को उपलब्ध करायेंगे** जिससे अभ्यर्थी द्वारा बज्रगृह में लगे इलेक्ट्रॉनिक लॉक की स्थिति (लाईव स्ट्रीमिंग सहित) का अवलोकन कर सकें। विदित हो कि इलेक्ट्रॉनिक लॉक का उपयोग निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के बीच पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए है न कि निर्वाचन में संलग्न पदाधिकारियों/कर्मियों के लिए।

6. उक्त कार्य हेतु बज्रगृह प्रभारी को IMZ Corporate Private Limited के प्रतिनिधि से सम्पर्क करा दिया जायेगा, जो ससमय उनके साथ रहेंगे।
7. संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को अवगत कराते हुये लॉक को लगाने अथवा खोले जाने से संबंधित सम्पूर्ण प्रक्रिया का विडियोग्राफी की जाय।
8. संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत) के पास भी View Option रहेगा। उक्त कार्य हेतु एक पदाधिकारी को प्राधिकृत किया जाये जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से अनुश्रवण करेंगे एवं इसकी गतिविधि से जिला निर्वाचन पदाधिकारी को अवगत करायेंगे।

अनुरोध है कि तद्नुसार कार्रवाई की जाय एवं सभी संबंधित को उक्त निदेश से अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

07/7/25

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

ज्ञापांक प0नि0 30–62/2025 3057 पटना, दिनांक– 7.7.25

प्रतिलिपि : आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

07/7/25

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

ज्ञापांक प0नि0 30–62/2025 3057 पटना, दिनांक– 7.7.25

प्रतिलिपि : IMZ Corporate Private Limited, Software Technology Parks, Patliputra Colony, Patna-800013 को कार्यादेश संसूचित पत्रांक 3030 दिनांक 05.07.2025 के आलोक में संबंधित प्रखंड की सूची के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश है कि संबंधित अभ्यर्थियों को इलेक्ट्रॉनिक लॉक का View Option उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

07/7/25

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

ज्ञापांक प0नि0 30–62/2025 3057 पटना, दिनांक– 7.7.25

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/7/25

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

ज्ञापांक प0नि0 30–62/2025 3057 पटना, दिनांक– 7.7.25

प्रतिलिपि : सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/7/25

विशेष कार्य पदाधिकारी ।